बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ० सं० :– 3/अ0प्र0–1–263/2010 09 /पटना, दिनांक :– 4-2-202

श्री किशोर कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध पदस्थापन काल में पूर्वी चम्पारण के पकड़ीदयाल एवं तेतरिया प्रखंड में निर्माण कराये गये दो पथों– (1) चैता से शिवपुर कुंडल तक पथ निर्माण कार्य एवं (2) बहुआरा गोसाईपुर पोखर से खेरवा भाया सेमराही सोभितपुर तक निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 4317 अनु० दिनांक 05.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. विभागीय निदेश के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक शून्य (0) दिनांक 20.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसकी तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। अधीक्षण अभियंता द्वारा किये गये तकनीकी समीक्षा में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया।

3. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत कार्यालय आदेश संख्या–185–सह–पठित ज्ञापांक 2661 अनु० दिनांक 30.08.2016 द्वारा मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सहायक अभियंता(मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 6740 अनु० दिनांक 31.10.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित तीनों आरोप यथा (i) चैता से शिवपुर कुंडल तक पथ निर्माण कार्य में पथ की चौड़ाई अंकित भुगतान के विरूद्ध स्थल जॉच में कम पायी गयी (ii) बहुआरा गोसाईपुर पोखर से खेरवा भाया सेमराही सोभितपुर तक निर्माण कार्य में मिट्टी कार्य का भुगतान स्वेच्छानुसार मात्रा अंकित कर किया गया एवं आर0सी0सी0 पुलिया में निम्न विशिष्टि के ईट का प्रयोग संबंधित आरोप को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

5. मुख्य अभियंता–3 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा की गयी। अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी तकनीकी समीक्षा में श्री किशोर कुमार, तदेन कनीय अभियंता गठित आरोपों बहुआरा गोसाईपुर पोखर से खेरवा भाया सेमराही सोभितपुर तक निर्माण कार्य में मिट्टी कार्य का भुगतान, एवं आर0सी0सी0 पुलिया में निम्न विशिष्टि के ईट का प्रयोग संबंधित आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

6. अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत विभागीय पत्रांक–3566 दिनांक 15.12.2017 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार के पत्रांक–0 दिनांक 24.05.2019 द्वारा विभाग को द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। मुख्य अभियंता–1 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

7. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गयी एवं मुख्य अभियंता–1 से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री किशोर कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री किशोर कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को प्रश्नगत आरोपों से मुक्त किया जाता है।

03/02/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–263/2010 471 /पटना, दिनांक :– 4-2-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/ मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका एवं रक्सौल/ प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं 5/श्री किशोर कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढ़ाका सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–263/2010 471 /पटना, दिनांक :– 4-2-2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–263/2010 /पटना, दिनांक :– 4-2-2020

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/02/2020

अभियंता प्रमुख

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

(11)